

२२-३-२२ पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील कोई  
उपस्थित नहीं थे। वादी व वादी वकील को  
न्यायालय समय तक वार ३ आवाज लगाई  
गई। फिर भी अनुपस्थित रहे। नाही शेख  
प्रतिवादी की तलबी कंटाई गई।  
आतं पत्रावली दफ्तरी अदम पेशी  
अन्तर्गत आदेश ०१ नियम ०५ के तहत  
स्वारिज की जाती है। पत्रावली फैसल  
सुना होकर नम्बर से कम होकर ६० दिवस  
दफ्तरी है। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

गुपसुगड आदेशकार  
साँभर लेक

